राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
परिवहन विभाग
5/9, अंडर हिल रोड, दिल्ली–110054

सं एफ19(04)/परि0वि0/सचि0 शा0/2019/112627 दिनांक– 17.12.2023

सेवा में,

उप–सचिव(प्रश्न),
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054

विषय– दिनांक 18.12.2023 को सदन की बैठक में जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 87

महोदय,

विधान सभा के पत्र के संदर्भ में उपरोक्त प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियाँ संलग्न हैं।

यह माननीय परिवहन मंत्री के पूर्व अनुमोदन से जारी हुआ है।

आर. रामनाथन
(आर0 रामानाथन)
उपायुक्त(सचि0)
R. RAMANATHAN
Deputy Commissioner

Scanned with OKEN Scanner

विभाग का नाम	–	परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार
विभाग का पता	–	5/9, अंडर हिल रोड़, दिल्ली – 110054
अतारांकित प्रश्न संख्या		87
सदस्य का नाम	–	श्री राजेश ऋषि
दिनांक	–	18/12/2023

क्या माननीय परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क. सं.	प्रश्न	उत्तर
क)	जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में डीडीए बस शेल्टर खराब स्थिति में हैं, इन्हें कब तक ठीक किया जाएगा और इनकी मरम्मत कौन–सी एजेंसी करेगी;	DTIDC द्वारा 1397 नए बस क्यू शेल्टर बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। उस प्रस्ताव में जनकपुरी विधानसभा के बस क्यू शेल्टर भी सम्मिलित हैं।
ख)	जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में पंखा रोड पर, उत्तम नगर बस टर्मिनल के पास बहुत अधिक क्लस्टर बसें व निजी बसें भी पार्क रहती हैं; इन बसों को यहाँ से हटवाने और नियत स्थानों पर पार्क करवाने के लिए विभाग क्या कदम उठा रहा है;	उत्तम नगर टर्मिनल से जनहित में दिल्ली के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाले विभिन्न मार्गों पर कलस्टर बसें संचालित की जाती है। उपरोक्त टर्मिनल में आने वाली भीड़ भाड़ को ध्यान में रखते हुए सभी कलस्टर मार्गों पर चालक दल के परिवर्तन के स्थान को अन्य नोड बिंदुओं या उपयुक्त डिपो में स्थानांतरित कर दिया गया है।
ग)	निजी बसों की पार्किंग के संबंध में लाइसेंस में क्या नियम निर्धारित हैं, इस संबंध में दोषी बस–परिचालकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाती है, इस संबंध में कितने चालान जारी किए गए हैं और उनसे कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है; और	सभी प्रकार की निजी बसों का नो पार्किंग/अनुचित पार्किंग में खडी करना मना है। इस संबंध में दोषी बस–परिचालकों के खिलाफ (डीटीसी0 और कलस्टर को छोड़कर) 500 रूपये का जुर्माना वसूल किया जाता है, इस प्रकार कुल चालान–3483, कुल उत्पन्न राजस्व–1741500/– (01.01.2023 प्रातः 04 बजे से 16.12.2023 प्रातः 04 बजे तक), है।
घ)	निजी वाहनों अर्थात व्यक्तिगत/निजी कारों व दुपहिया वाहनों के लिए क्या पार्किंग नीति है। पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए परिवहन विभाग क्या कदम उठाने जा रहा है?	दिल्ली राजपत्र अधिसूचना फा0 सं0 19(05)/परिवहन/सचिवालय /2017/63266 के नियम 03 के अनुसार नई दिल्ली नगर परिषद, दक्षिण नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम तथा पूर्वी दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली छावनी बोर्ड(इसके पश्चात जिन्हें सिविक एजेंसी कहा जाएगा) जो अपने कार्य क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था के लिए जिम्मेवार हैं।

इसकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर ली गई है।

(आशीष कुन्द्रा)
प्रमुख सचिव सह आयुक्त (परिवहन)
विभागाध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner